

अनुदान संख्या 94 - जनजातीय कार्य मंत्रालय
GRANT No. 94-MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित-	Charged-			
मूल	Original	1820,49,00		
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year	1820,50,00	1590,39,69	-230,10,31
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	263,05,00		
पूरक	Supplementary	4,28,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year	267,33,00	227,85,01	-39,47,99
पूँजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted -	50,01,00	. .	-50,01,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			50,01,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	182049.00		
पू.	S.	1.00	159040.61	159039.69
पु.	R.	-23009.39		-0.92

(I) "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अधीन अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(I) Under "Grants for State Plan Schemes - Grants under Proviso to Article 275(1) of the Constitution" - savings occurred under the following heads:-

(का) “जनजातीय उप योजना के अंतर्गत स्कीम” - 11913.17 लाख रु. की बचत (90000.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) उपयोग प्रमाण-पत्रों और वर्ष 2007-08 की निष्पादन रिपोर्ट तथा प्रस्तावों के निर्धारित प्ररूप में प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) “संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अधीन स्कीम” - 7621.59 लाख रु. की बचत (41600.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई; और

(II) “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम को सहायता अनुदान” - 2400.00 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कुछ राज्य सरकारों से प्रस्तावों/उपयोग प्रमाण-पत्रों/वास्तविक प्रगति की स्थिति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) “मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम, बुक बैंक और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की योग्यता का उन्नयन” - 126.70 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से पूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम, बुक बैंक और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की योग्यता का उन्नयन” - 2206.83 लाख रु. की बचत (19290.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से पूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(A) “Scheme under Tribal Sub-Plan” - saving of Rs.11913.17 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.90000.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates and performance report for 2007-08 and proposals in prescribed format.

(B) “Scheme under Proviso to Article 275(1) of the Constitution” - saving of Rs.7621.59 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.41600.00 lakhs); and

(II) Under “Grants for Central Plan Schemes – Welfare of Schedule Tribes – Education” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Grants-in-aid to State Tribal Development Co-operative Corporations for Minor Forest Produce” - saving of Rs.2400.00 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.4000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of proposals/utilisation certificates/physical progress from some of the State Governments.

(B) “Scheme of PMS, Book Bank and Upgradation of Merit of ST Students” - saving of Rs.126.70 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.200.00 lakhs) was due to non-receipt of complete proposals from Union Territories.

(III) Under “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Welfare of Scheduled Tribes – Education” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Scheme of PMS, Book Bank and Upgradation of Merit of ST Students” - saving of Rs.2206.83 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.19290.00 lakhs) was due to non-receipt of complete proposals from Union Territories.

(खा) “अनुसंधान सूचना, जन शिक्षा, जनजातीय त्योहार और अन्य” - 338.92 लाख रु. की बचत (1026.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें, पुनर्विनियोग द्वारा विनियोग को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1599.16 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा - आदिम जनजाति समूहों का विकास” के अंतर्गत फरवरी, 2009 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक विनियोग प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

3. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (3947.99 लाख रु.) अक्टूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 428.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(B) “Research Information, Mass Education, Tribal Festivals and Others” - saving of Rs.338.92 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.1026.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year.

2. The above savings were partly (Rs.1599.16 lakhs) utilised for augmenting the appropriation by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary appropriation of Rs.1.00 lakh in February, 2009 under Major Head “3601” – “Grants for Central Plan Schemes – Welfare of Scheduled Tribes – Education - Development of Primitive Tribal Groups”.

3. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.3947.99 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.428.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and constituted 15 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष मुख्य शीर्ष “2251” सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Head Major Head “2251” Secretariat - Social Services		
मू.	O.	957.00	
पू.	S.	124.00	865.48
पु.	R.	-215.52	852.19
			-13.29

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2225"	Major Head "2225"			
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes			
मू.	O.	17295.00		
पू.	S.	304.00	15537.25	15429.82
पु.	R.	-2061.75		-107.43
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	8050.00		
पु.	R.	-8050.00
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
पु.	R.	6503.00	6503.00	6503.00
(I) 8113.00 लाख रु. का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 7850.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "2552" - "अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-	(I) Provision of Rs.8113.00 lakhs remained wholly unutilised under ten heads; of these Rs.7850.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - "Welfare of Scheduled Tribes- Education" - under the following heads:-			
(का) "आदिम जनजाति समूह का विकास" - 500.00 लाख रु.;	(A) "Development of Primitive Tribes Group" - Rs.500.00 lakhs;			
(खा) "कोचिंग और अनुषंगी स्कीम तथा अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान" - 1050.00 लाख रु.;	(B) "Grants-in-aid to NGOs for STs including Coaching and Allied Scheme and Award for Exemplary Service" - Rs.1050.00 lakhs;			
(गा) "मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम, बुक बैंक और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की योग्यता का उन्नयन" - 5500.00 लाख रु.;	(C) "Scheme of PMS, Book Bank and Upgradation of Merit of ST Students" - Rs.5500.00 lakhs;			

(घ) “अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं और बालकों के लिए छात्रावासों की स्कीम” - 500.00 लाख रु.; और

(ङ) “अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति” - 300.00 लाख रु.।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “2251” - “सचिवालय - जनजातीय कार्य मंत्रालय” के अंतर्गत 957.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 124.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1081.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 228.81 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) कई प्रस्तावों/खरीदों के मूर्तरूप न लेने, रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2225” - “अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - निदेशन और प्रशासन - राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग” के अंतर्गत 432.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 82.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 514.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों के भरे न जाने और आयोग के आयोजित कार्यक्रम के मूर्तरूप न लेने के कारण 76.31 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष “2225” - “अनुसूचित जनजातियों का कल्याण” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “शिक्षा - उत्कृष्ट/उच्च कोटि के शिक्षा संस्थानों की स्कीम” - 878.39 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थाओं से पूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) “अन्य व्यय” -

(D) “Scheme of Hostels for ST Girls and Boys” - Rs.500.00 lakhs; and

(E) “Rajiv Gandhi National Fellowship for ST Students” - Rs.300.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head “2251” - “Secretariat - Ministry of Tribal Affairs” - the original provision of Rs.957.00 lakhs was augmented to Rs.1081.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.124.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.228.81 lakhs (including supplementary grant) - due to non-materialisation of number of proposals/purchases, non-filling up of vacant posts and economy measures.

(III) Under Major Head “2225” - “Welfare of Scheduled Tribes - Direction and Administration - National Commission for Scheduled Tribes” - the original provision of Rs.432.00 lakhs was augmented to Rs.514.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.82.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.76.31 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and non-materialisation of the planned programme of the commission.

(IV) Under Major Head “2225” - “Welfare of Scheduled Tribes” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Education - Scheme of Institutes of Excellence/Top Class Education” - saving of Rs.878.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to non-receipt of complete proposals from the Institutions.

(B) “Other Expenditure” -

- (क) “जनजातीय क्षेत्रों के कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता का विकास करने के लिए शिक्षा परिसर” - 2000.00 लाख रु. की बचत (6000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित स्कीम में सभी राज्यों के भाग न लेने के कारण हुई।
- (ख) “जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र” - 152.61 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम का संशोधन किए जाने के कारण हुई।
- (ग) “विदेशों में अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति” - 198.82 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चयनित छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया जारी रहने के कारण हुई।
- (घ) “अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा, जनजातीय त्योहार और अन्य” - 143.09 लाख रु. की बचत (414.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से पूर्ण/पर्याप्त प्रस्तावों और उपयुक्त सिफारिशों के प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (V) दो शीर्षों के अंतर्गत 195.88 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत और 24 प्रतिशत थीं।
- 4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1349.50 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “2225” - “अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - अन्य व्यय - कोचिंग और अनुषंगी स्कीम तथा अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान” के अंतर्गत 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।
- (a) “Education Complex in low literacy pockets for development of women literacy in Tribal areas” – saving of Rs.2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6000.00 lakhs) was due to non-participation of all States in the revised scheme.
- (b) “Vocational Training Centres in Tribal Areas” – saving of Rs.152.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to revision of scheme.
- (c) “Scholarship to the Students of Scheduled Tribes for Studies Abroad” – saving of Rs.198.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to selected students being in the process for admission.
- (d) “Research Information & Mass Education, Tribal Festivals and others” - saving of Rs.143.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.414.00 lakhs) was due to non-receipt of complete/sufficient proposals and proper recommendations from the State Governments.
- (V) Under two heads savings of Rs.195.88 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 14 percent and 24 percent of the sanctioned provision.
- 4.(I) The above savings were partly (Rs.1349.50 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under Major Head “2225” - “Welfare of Scheduled Tribes - Other Expenditure – Grants-in-aid to NGOs for STs including Coaching and Allied Scheme and Award for Exemplary Service”.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2225" - "अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा - अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति" - 203.24 लाख रु. का अधिक व्यय (2900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" -

(क) "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा - आदिम जनजाति समूहों का विकास" - 403.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा" -

(i) "मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम, बुक बैंक और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की योग्यता का उन्नयन" - 5500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ii) "अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं और बालकों के लिए छात्रावास की स्कीम" - 500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 100.00 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जहां सम्पूर्ण व्यय निधियों का पुनर्विनियोग करके पूरा किया गया।

5. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2225" - "Welfare of Scheduled Tribes - Education - Rajiv Gandhi National Fellowship for ST Students" - excess of Rs.203.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2900.00 lakhs);

(B) Major Head "3601" -

(a) "Grants for Central Plan Schemes - Welfare of Scheduled Tribes - Education - Development of Primitive Tribal Groups" - excess of Rs.403.00 lakhs (against nil provision);

(b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Welfare of Scheduled Tribes - Education" -

(i) "Scheme of PMS, Book Bank and Upgradation of Merit of ST Students" - excess of Rs.5500.00 lakhs (against nil provision); and

(ii) "Scheme of Hostels for ST Girls and Boys" - excess of Rs.500.00 lakhs (against nil provision).

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) Under one head excess of Rs.100.00 lakhs occurred where the entire expenditure was met by re-appropriation of funds.

5. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4225"	Major Head "4225"			
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes			
मू.	O.	5001.00		
पु.	R.	-5001.00

(I) 5001.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 5000.00 लाख रु. अकेले "सामान्य - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को सहायता" के अंतर्गत व्यय वित्त समिति द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.5001.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.5000.00 lakhs alone accounted for under "General - Investment in Public Sector and Other Undertakings - Support to National/State Scheduled Tribes Finance and Development Corporation" - due to non-approval of the scheme by the Expenditure Finance Committee.